वर्ष 2023 लीसा फसल के लिए खाली टिनों की आपूर्ति एवं बद्रीनाथ वन प्रभाग के मोटर मार्ग डिपुओं तक ढुलान हेतु टेण्डर नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बद्रीनाथ वन प्रभाग के वर्ष 2023 लीसा फसल के लिए खाली टिनों को नीचे तालिका में उल्लेखित मोटर मार्ग लीसा डिपो में खाली टिन आपूर्ति करने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड की ओर से दिनांक 27/02/2023 को सांय 5:00 बजे तक टेण्डर फॉर्म प्राप्त किये जा सकते हैं। सीलबन्द टेण्डर फॉर्म इस कार्यालय में दिनांक 28/02/2023 को इस कार्यालय में 12:00 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिए। निर्धारित तिथि/समय के बाद प्राप्त टेण्डर फॉर्मो पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त समस्त सीलबन्द टेण्डर फॉर्म दिनांक 28-02-2023 को 3:00 बजे अपराह्न अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोले जायेंगे। टेण्डर फॉर्म दिनांक 27/02/2023 को सांय 5:00 बजे तक ₹ 500/- नगद भुगतान एवं 18% G.S.T. का अतिरिक्त चालान बतौर टेण्डर की कीमत अदा कर इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

प्रभाग के विभिन्न रेंजो में खाली टिनों की अनुमानित मात्रा निम्न प्रकार अंकित है जो घट-बढ़ सकती है।

क्र. सं.	टिनों की आपूर्ति स्थान / रेंज का नाम	टिनों की संख्या	धरोहर राशि	टेण्डर मूल्य
1	चमोली रेंज	17000 टिन	₹ 20000/-	₹ 500 (₹ 90.00 G.S.T. अतिरिक्त)
2	नन्दप्रयाग रेंज	20000 टिन	₹ 25000/-	₹ 500 (₹ 90.00 G.S.T. अतिरिक्त)
3	पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़	17000 टिन	₹ 20000/-	₹ 500 (₹ 90.00 G.S.T. अतिरिक्त)
4	मध्य पिण्डर रेंज, थराली	23000 टिन	₹ 28000/-	₹ 500 (₹ 90.00 G.S.T. अतिरिक्त)
5	पूर्वी पिण्डर रेंज, देवाल	23000 टिन	₹ 28000/-	₹ 500 (₹ 90.00 G.S.T. अतिरिक्त)

उक्त अनुमानित मात्रा पूरे वर्ष के अन्त तक कुल टिनों की है। खाली टिनों का ढुलान टेण्डर स्वीकृति के 15 दिनों के अन्दर प्रारम्भ करना होगा।

सीलबंद लिफाफे के बाहर "टेण्डर बाबत खाली टिन आपूर्ति" लिखना आवश्यक है।

शर्ते :-

1- टेण्डर के साथ उपरोक्तानुसार धरोहर राशि बतौर राष्ट्रीय बचत पत्र अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित कर संलग्न कर भेजें। बिना धरोहर राशि के टेण्डर मान्य नहीं होगा।

2- इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार सफल टेण्डरदाता को निर्देशित स्थान तक तुरन्त खाली टिनों का ढुलान करना होगा। कार्यादेश जारी होने के दिनांक से 30 दिनों के अन्दर ढुलान कार्य करना होगा, बिलम्ब होने की दशा में नेक जमानत जब्त कर दी जायेगी।

3- कच्चे माल की दरों में वृद्धि आदि की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी तथा निविदादाता द्वारा दी गई दरें स्थिर रहेंगी। प्राइज वैरीएशन क्लॉज लागू नहीं होंगे।

4- विशेष परिस्थितियों में निविदा किसी भी समय निरस्त की जा सकती है, जिसके लिए कोई कारण बताने की बाध्यता नहीं होगी।

5- टेण्डर स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने के सात दिन के अन्दर टेण्डरदाता को इकरारनामे पर हस्ताक्षर करने होंगे तथा कुल कीमत का 10 प्रतिशत या उससे अधिक जैसा भी अधोहस्ताक्षरी उचित समझें, धनराशि जमानत के रूप में पूर्ण जमा करनी होगी। ढुलान कार्य न करने पर अर्नेष्ट मनी (नेक जमानत) तथा जमानत की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

6- अपरिहार्य परिस्थिति में विभाग स्वीकृत दर की सीमा तक किसी भी विक्रेता से खाली टिन खरीदने के लिए स्वतन्त्र होगा।

7- अधोहस्ताक्षरी को किसी भी टेण्डर को बिना कारण बताये ही स्वीकार करने या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसे टेण्डरदाता को स्वीकार करना होगा।

8- अपरिहार्य परिस्थितियों में टेण्डर खोलने की तिथि व समय आदि बढ़ाया जा सकता है।

क्रमशः 2 पर

Scanned with CamScanner

9– क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियां –

क्र. सं.	क्रय की जाने वाली सामग्री का नाम	सामग्री की विशिष्टता एवं मानक
1–	खाने का तेल, घी या मिट्टी तेल के खाली टिन	1– खाली टिन का माप– 320 × 228 × 228 मिलीमीटर 2– टिन के पूर्व उपयोग की स्थिति– टिन पूर्व में केवल एक बार उपयोग किया गया हो। 3– टिन के ऊपरी भाग की विशिष्टता– 3.1– खाली टिन के ऊपरी भाग पर 5 सेमी0 व्यास का एक छेद हो जिससे चारों तरफ दुबारा सील लगाने का निशान न हो। 3.2– टिन उठाने के लिए कुण्डा / हैण्डिल लगा हो। 4– टिन में लीकेज नहीं होने की विशिष्टता– खाली टिन में ऊपरी भाग पर एक छेद को छोड़कर अन्य कोई छेद या लीकेज नहीं होनी चाहिए। 5– टिन पर एनोडायजिंग / पॉलिश की स्थिति– टिन में जंग नहीं लगा होना चाहिए। 6– टिन में लीसा भर लेने की क्षमता– टिन पिचका हुआ नहीं हो। 7– टिन की अंदरूनी एवं बाहरी सतह की सफाई की स्थिति– संबंधित रेंज अधिकारी की संतुष्टि तथा अन्दर व बाहर से भली प्रकार साफ किया गया हो।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 4008 / 10–2 गोपेश्वर, दिनांक, 14 फरवरी / 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक, आई0 टी0 सेल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
3– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4– वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
5– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद चमोली/रुद्रप्रयाग/पौड़ी।
6– लीसा डिपो अधिकारी, ऋषिकेश।
7– समस्त वन क्षेत्राधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग।
8– नोटिस बोर्ड हेतु।
9– जिलाधिकारी, चमोली।
10– मुख्य कोषाधिकारी, गोपेश्वर।
11– जिला सूचना अधिकारी, चमोली।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner